कोलायत जिला—बीकानेर

13/4/17. पत्रावली पेश हुवी।
वकीलान पक्षकारान उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही अमल की जा चुकी है।
अप्रार्थी सं 2 ता 5 द्वारा प्रार्थना पत्र
पर बहस करने हेतु निवेदन किया गया।
अप्रार्थी सं 1 को भी बहस में शामिल
किया गया।
प्रार्थना पत्र पर बहस समाप्त की गयी।
वकील प्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया,
अप्रार्थीगण के वकील द्वारा आपत्ति की
गयी कि उनके द्वारा अप्रार्थी सं 2

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला—बीकानेर

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ता 5 के आधार प्रस्तुत किया जो कुछ है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29/11/2014 तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। पत्रावली बहस पर चल रही है। प्रार्थीगण द्वारा जान बूझकर लम्बित किया जा रहा है। हमने प्रार्थना-पत्र निस्तारण के तीन बिन्दुओं पर विश्लेषण किया। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14-11-2014 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय जुदागाना मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निर्णय लिखे जाने के पश्चात प्राप्त किया शामिल मि. रहे। प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/01/15 को सुनाया गया। (प्रदीप कुमार)	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-बीकानेर